संख्या- 374 /2023/ 7419 /चार-2023

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभागः **लखनऊः दिनांक 15 दिसम्बर, 2023**

विषय- अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के 69वें राष्ट्रीय अधिवेशन हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रम में ''Crazy Hoppers '' की दल नायिका सुश्री प्रीति सिंह**,** आगरा द्वारा हनुमान चालीसा नृत्य पर होने वाले व्यय रू0 1.75 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या- 3451 /सं0नि0-15(65)/2019-20, दिनांक 05 दिसम्बर, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के 69वें राष्ट्रीय अधिवेशन हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रम में ''Crazy Hoppers '' की दल नायिका सुश्री प्रीति सिंह**,** आगरा द्वारा हनुमान चालीसा नृत्य हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में रू0 1.75 लाख (रू0 एक लाख पचहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं-

(1) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/ पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।
(3) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।
(4) स्वीकृत धनराशि का संबंधित को समयान्तर्गत भुगतान के उपरान्त यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।
(5) संस्कृति निदेशालय द्वारा धनराशि आहरित कर दल नायिका सुश्री प्रीति सिंह**,** आगरा को उपलब्ध करायी जायेगी।

3. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान सं0-92 के अधीन लेखाशीर्षक -2205-कला तथा संस्कृति- 001- निदेशन एवं प्रशासन- 03- संस्कृति निदेशालय- 42- अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव

संख्या- 374 /2023/ 7419 (1) /चार-2023, तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त(लेखा) अनुभाग-1/वित्त(ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।